FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

खेमाराम बनाम भंवराराम कोरा

किस्म मुकदमा राजस्व वाद 88,188 नं. 95/11 सन् 2011

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.8.11	प्रार्थी / वादी / अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना – पत्र / वाद / अपील धारा RTA 88,188 राजस्थान काश्तकारी / भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10.10.11 को पेश हो ।	
10.10.11	वादी वकील उपस्थित प्रतिवादीगण अनुपस्थित प्रतिवादीगण पर सम्मन तामील [illegible] तामील जारी नहीं हुए हैं अतः [illegible] आयन्दा पेशी वास्ते 9.12.11 को पेश हो।	
5.12.11	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। आज S.D.O. साहब दीगर कार्य में व्यस्त है। इत्तला होकर 10.1.12 को पेश हो।	
10.1.12	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि-कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल ईत्तला होकर दिनांक 27.2.12 को पेश हों।	

Scanned by CamScanner

27.2.12 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित।
वादी वकील द्वारा वास्ते कौलमी सूचना का प्रार्थना
पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया जाता। वादी
वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में अवगत कराया कि प्रतिवादी
क्र-4 अंसारी w/o ख्वास राम की माह पूर्व फौत हो
चुकी है। जिसके कायम मुकाम प्रतिवादी क्र 2 व 3 पूर्व
से ही रेकार्ड पर हैं। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी क्र-4
का नाम रेकार्ड से हटाने बाबत निवेदन किया।
साथ ही संशोधित शीर्षक पेश करने का भी वादी वकील द्वारा
निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न संशोधित शीर्षक पेश किये।
वादी का शपथ पत्र व संशोधित शीर्षक
संशोधित शीर्षक स्वीकार किया जाकर पत्रावली
आइन्दा वास्ते जवाब दावा हेतु पेश हो। प्रतिवादीगण के
अनुपस्थित रहने पर, बावजूद सूचना के अनुपस्थित
रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
पत्रावली आइन्दा 10.4.12 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर

10.4.12 अधिवक्ता वादी उप०।
वादी की साक्ष्य आज उपस्थित नहीं
है। अधिवक्ता वादी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत
मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया। यह प्रार्थना पत्र
मात्र अपने पक्ष में साक्ष्य create करने के
उद्देश्य से किया गया है जो कानूनी तौर पर स्वीकार करने
काबिल नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज
किया जाता है। पत्रावली आइन्दा वादी
साक्ष्य आइन्दा 2.5.12 को पेश हो।

10/4/12

2.5.12 वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगण अनुपस्थित /
आज SDO साहब अवकाश पर हैं / पत्रावली
आइन्दा 16.5.12 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.5.12	अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण 1, 3, 5, 11 से 13 की तरफ से प्रार्थनापत्र 0 9 R 7 CPC पेश किया गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थनापत्र आइन्दा 21.5.12 को पेश हो। [signature] 16/5/12 सहायक कलक्टर (SDO) बायतू	
21.5.12	अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी सं० 1, 3, 5, 11 से 13 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC का पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। नकल वादी वकील को दी गई। आज SDO साहब दौरे पर हैं। पत्रावली आइन्दा 29-5-12 को पेश हो।	
29/5/12	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादीगण 5 से 7 व 13, 14 की तरफ से अधिवक्ता [illegible] ने प्रार्थनापत्र 0 9 R 7 पेश किया। जिसकी प्रति अधिवक्ता वादी को दी गई। पत्रावली वास्ते जवाब व बहस प्रार्थनापत्र आइन्दा 18/7/12 को पेश हो। [signature] 29/5/12	
18.7.12	अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी सं० 1, 3, 5, 11 से 13 के वकील उपस्थित। आज SDO साहब [illegible] में व्यस्त हैं। पत्रावली आइन्दा 11-9-12 को पेश हो। [signature]	

Scanned by CamScanner

10.03.14

11.9.12 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि. -कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल ईल्तवा होकर दिनांक 19.11.12 को पेश हो। [signature]

19/11/12 अधिवक्तागण हड़ताल में होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/01/13 को पेश हो। [signature]

14/01/13 वकुलाय फरीकैन [illegible] आज पीठासीन अधिकारी [illegible] अभियान [illegible] में [illegible] अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 07/05/13 को पेश हो। [signature]

07/05/13 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि. -कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल ईल्तवा होकर दिनांक 09/07/13 को पेश हो। [signature]

09/07/13 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 29/10/13 को पेश हो। [signature]

29/10/13 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली ईल्तवा होकर। दिनांक 22.01.14 को पेश हो। [signature]

22/01/14 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र O.9 R.7 पर वादी वकील द्वारा No objection किया गया है, पूर्व आदेश दिनांक 27.02.12 के आदेश को अपास्त किया जाता है। अतः पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10/03/14 को पेश हो। [signature]

Scanned by CamScanner

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/05/14	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यो मे व्यस्त है। पत्रावली ईल्तवा होकर। दिनांक 21/05/14 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
21/05/14	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि. कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल ईल्तवा होकर दिनांक 28/07/14 को पेश हों। (हस्ताक्षर)	
28/07/14	अधिवक्तागण हड़ताल में चल रहे हैं। अलावा पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 17/09/14 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
17/09/14	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि. कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल ईल्तवा होकर दिनांक 12/11/14 को पेश हों। (हस्ताक्षर)	
12/11/14	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 09/02/14 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
09/02/14	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि. कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल ईल्तवा होकर दिनांक 06/04/15 को पेश हों। (हस्ताक्षर)	
06/04/15	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप. प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अलावा पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 03/07/15 को कैम्प कोर्ट में पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

03/07/15 ~~पत्रावली पेश हुई। वह~~ पत्रावली अजन डेम्प होई में रखी गई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया फाईनल पेश करना चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 07/10/15 को पेश हो।

07/10/15

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप०। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अवसर चाहा पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये। अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 03/11/15 को पेश हो।

03/11/15

वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 CPC पर वादी वकील द्वारा No objection किया गया। प्रतिवादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया गया। अतः आईन्दा पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/11/15 को पेश हो।

24/11/15

वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादीगणों के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। पूर्व में अन्तिम अवसर दिया गया था न्यायहित में एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 02/02/16 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/02/16	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 10 से 12 के वकील द्वारा No Intrection paled किया गया। शेष प्रतिवादीगणों के वकील जवाब आईन्दा पेश करना चाहते है। अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 19/04/16 को पेश हो।	
19/04/16	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 14/09/16 को पेश हों।	
14/09/16	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 18/01/17 को पेश हों।	
18/01/17	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 5 से 9 व 13, 14 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया व No Intrection paled किया गया। अतः पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 20/02/17 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]	
20/02/17	वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा एक प्रार्थना-पत्र O-6 R-17 CPC का पेश किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली संशोधित वाद पेश करने हेतु दिनांक 03/03/17 को पेश हो।	

सहायक कलक्टर (SDO)
[illegible]

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए	04/09/17
03/03/17	वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा संशोधित वादपत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 25/04/17 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु		
25/04/17	वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं का शपथ-पत्र PW-1 खेमाराम पुत्र कुम्भाराम स्वतंत्र गवाह PW-2 जेठाराम PW-3 मोहनलाल के शपथ-पत्र पेश किये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी और साक्ष्य आइन्दा पेश करना चाहते हो कलमबंद किया जाकर पत्रावली दिनांक 10/05/17 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	PW- खेमाराम PW- जेठाराम ह. मोहनलाल PW	
10/05/17	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सिणोदिया में रखी गई। वादी वकील उपस्थित। वादी साक्ष्य अनुपस्थित आइन्दा पेश करना चाहते हो कलमबंद किया जाकर पत्रावली दिनांक 24/07/17 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु		
24/07/17	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 04/09/17 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु		

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/09/17	वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-4 हीराराम PW-5 सोनाराम व PW-6 खरथाराम के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। वादी साक्ष्य बंद किये जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/09/2017 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	PW-4 अ0नि0 हीराराम PW-5 अ0नि0 सोनाराम P.W6 अ0नि0 खरथाराम
25/09/17	वादी वकील उपस्थित। वादी वकील श्री एकपक्षीय बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 27/09/2017 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
27/09/17	पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी ,बायतु

जिला बाड़मेर

पीठासन अधिकारी :– हेताराम चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 95 / 2011

1. खेमाराम पुत्र बुधराराम जाति मेघवाल
   निवासी नया बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

...........................वादी

बनाम

1. भंवराराम पुत्र पूनमाराम
2. धन्नाराम पुत्र जवाराराम
3. भैराराम पुत्र जवाराराम
4. रावल उर्फ रावलराम पुत्र नगाराम
5. बाबूलाल पुत्र मंगलाराम
6. घेवरचन्द पुत्र मंगलाराम
7. अशोक कुमार पुत्र मंगलाराम
8. राजूराम पुत्र मंगलाराम
9. गैनी देवी पत्नी मंगलाराम
10. रायमलराम पुत्र मुकनाराम
11. सवाईराम पुत्र मगाराम
12. खमा[redacted] पत्नी मगाराम
13. रणछोड़ पुत्र जवाराराम
14. पपु पत्नी सुरताराम सर्वे कौम दर्जी
    निवासी नया बाटाडू तहसील बायतु।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु
16. शाखा प्रबंधक जे.जे.जी.बी.बाटाडू।

................प्रतिवादीगण

राजस्व आवेदन अर्न्तगत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 27/09/2017

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपस्थित :– 1. खेताराम जाखड़ एडवोकेट वादी

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नया बाटाडू पटवार हल्का हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 520 रकबा 130 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट वादी के पूर्वज बुधरा का 2/3 हिस्से पर व प्रतिवादीगण के पूर्वजों का 1/3 हिस्से पर संयुक्त रुप से कब्जा काश्त रहा हैं तथा इसी अनुसार आज तक लगातार निर्विवाद रुप से चलता आ रहा हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

लेकिन वादी के पूर्वज पिता बुधरा अनपढ व गरीब होने के कारण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने सेटलमेन्ट अधिकारीयों से मिलिभगत कर सम्पूर्ण भूमि का पर्चा लगान अपने अकेले के नाम करवा लिया गया जिसमें वादी को उक्त विवादग्रस्त भूमि मौजा नया बाटाडू के खेत खसरा नम्बर 520 रकबा 130 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 तक के साथ 2/3 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु उक्त वाद लाया गया। उक्त वाद में वादी ने अपने वाद के समर्थन में चालू जमाबन्दी EXP -1 व नक्शा EXP -2 पेंश किया।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 व 10 से 12 की और से वकिल श्री रिणछाराम सियाग उपस्थित व प्रतिवादीगण संख्या 5 ये 9 व 13, 14 की और से वकिल श्री घमण्डाराम सारण उपस्थित हुए। लेकिन उनकी और से कोई जबाब पेंश नहीं किया गया तथा दिनांक 02.02.2016 व 18.01.2017 को पक्षकार की और से कोई हिदायत नहीं होना बताया गया। वादी वकिल द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. वास्ते संशोधित वाद पेंश करने का पेंश किया जिसे स्वीकार किया जाकर संशोधित वाद को रेकर्ड पर लिया गया वादी की और साक्ष्य के तौर पर PW-1 वादी स्वंय खेमाराम पुत्र बुधराराम जाति मेघवाल व स्वतन्त्र गवाह के रुप में PW-2 जेठाराम पुत्र आईदानराम जाति जाट उम्र 80 वर्ष PW-3 मिठालाल पुत्र लाभूराम जाति ब्राहमण उम्र 65 वर्ष PW-4 हीराराम पुत्र मोडाराम जाति जाट उम्र 70 वर्ष PW-5 सोनाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट उम्र 62 वर्ष PW-6 खरथाराम पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल उम्र 63 वर्ष के शपथ पत्र पेंश किये जिसमें उक्त समस्त स्वंतन्त्र गवाह द्वारा वक्त सेटलमेन्ट से वादी व उनके पूर्वजों का 2/3 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त होना व ढाणीयां ,टांके ,चारबाड़े आदी कब्जा होना बताया गया।

वादी वकिल की एकपक्षीय बहस सुनी तथा वादी वकिल ने अपने तर्को में स्वतन्त्र गवाह व राजस्व रेकर्ड का हवाला देते हुए कहा कि सेटलमेन्ट के वक्त वादी के पूर्वज अपनढ,गवार होने के कारण पर्चा लगान प्रतिवादी के पूर्वजों ने अपने नाम करवा लिया लेकिन उक्त वादगस्त भूमि पर पिछले 60–65 वर्षो से वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं तथा वादी उक्त खसरा नम्बर 520 मे ही निवास कर रहा हैं जिसमें वादी की ढाणी ,पानी के टांके व पशुबाड़े, चारबाड़े आदि बने हुए हैं तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एंव प्रतिकुल कब्जा के अनुसार जिसमें भूमि पर किसी का निर्विवाद रुप में 15–17 वर्षो तक कब्जा काश्त हो तो उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी को 2/3 हिस्से का प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक सुक्ष्म अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादी के तर्को पर गम्भीर मनन किया वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में पेंश राजस्व रेकर्ड व गवाह के शपथ पत्र के अवलोकन व प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार का कोई जबाब आदि नहीं देनें से यह निर्विवाद रुप से साबित होता हैं कि वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 तक संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned with CamScanner

अतः वादी का यह वाद स्वीकार किया जाकर डिग्री किया जाता हैं कि मौजा नया बाटाडू पटवार हल्का हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 520 रकबा 130 बीघा भूमि में वादी को 2/3 हिस्से का प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 के साथ सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। इसी अनुरुप वादी के पक्ष में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 वादी के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एंव इसी अनुसार डिग्री पर्चा तैयार होकर जारी हैं

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

निर्णय आज दिनांक 27/09/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned with CamScanner

Jud/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

लत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

स श्री हेताराम चौहान R.A.S रवेमाराम बनाम भंवराराम वगैरा

बाबत रा. वाद 88, 188 RTAct

कदमा नं. 95/11 सन् 2011

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री खेताराम जाखड़ एड० मिनजानिब मुदई व —

— मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी

दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा- नया बाटाड़ पटवार हल्का दरखाली तहसील- बायतु के खेत खसरा नम्बर- 520 रकबा- 130.00 बीघा भूमि में वादी को 2/3 हिस्से का प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 के साथ सह खातेदार करार कर घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप वादी के पक्ष में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 वादी के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। तहसीलदार बायतु इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

कौम .... मुबलिग .... बाबत —

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह — फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख वसूलयाबी तक — को अदा करें।

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 09 2017 को जारी की गई।

दस्तखत [signature]

मुहर

ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

मुदई	रुपया	पै.	मुदई	रुपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
बाबत इजराल हुकमनामा			बाबत इजराज हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजाना		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

वादीगण

1. खेमाराम पुत्र शुधराराम
जाति- मेघवाल निवासी-
नया बाड़ा तह० बायतु
जिला- बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवराराम पुत्र पूनमाराम
2. धन्नाराम पुत्र जवाराराम
3. भैराराम पुत्र जवाराराम
4. रावल उर्फ रावलराम पुत्र मगाराम
5. बाबूलाल पुत्र मंगलाराम
6. घेवरचन्द पुत्र मंगलाराम
7. अशोक कुमार पुत्र मंगलाराम
8. राजूराम पुत्र मंगलाराम
9. जोनी देवी पत्नी मंगलाराम
10. रायमलराम पुत्र मुकनाराम
11. सवाईराम पुत्र मगाराम
12. खमा[illegible] पत्नी मगाराम
13. रणछोड़ पुत्र जवाराराम
14. पपु पत्नी सुरताराम सर्व
कौम दर्जी निवासी-
नया बाड़ा तह० बायतु
15. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बायतु
16. शाखा प्रबंधक जे.जे.जी.बी.
बाड़ा।

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned with CamScanner